रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2006/श्रावण 20, 1928
No. 367] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2006/SRAVANA 20, 1928

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 476(अ).-केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, में :-

(i) अध्याय III के नियम 3.73 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2 (क) यदि फाटक रोक (स्टॉप) सिगनल पर 'G' चिह्न (मार्कर) लगा हुआ है तो लोको पायलट सिगनल पर दिन के समय एक मिनट और रात्रि के समय दो मिनट प्रतीक्षा करेगा और यदि इस अवधि में सिगनल 'ऑफ' नहीं हो जाता है तो वह अपनी गाड़ी को सतर्कता से आगे बढ़ा कर समपार (लेविल क्रॉसिंग) तक ले जायगा, और

(ख) यदि फाटक वाला उपलब्ध है और वह हैंड सिगनल दिखा रहा है तो वह फाटक को सावधानीपूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ेगा, या

(ग) यदि फाटक वाला उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध है किन्तु हैंड सिगनल नहीं दिखा रहा है तो वह समपार से थोड़ा पहले गाड़ी को रोक लेगा, जहां इसके बाद उसे फाटक पार करने के लिए यदि फाटक वाला है तो या वह हैंड सिगनल दिखाएगा और यदि नहीं है तो गाड़ी का इंजन चालक दल का कोई सदस्य यह निश्चित कर लेने के पश्चात् कि सड़क यातायात के लिए फाटक बंद हो गया है, हैंड सिगनल दिखाएगा ।";

(ii) अध्याय IX के, नियम 9.15 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) (i) यदि 'A' चिह्न (मार्कर) बत्ती की रोशनी बुझी हुई है तो वह फाटक वाले को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और सिगनल के पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा, और

(ii) यदि दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल 'ऑफ' नहीं होता है तो वह अपनी गाड़ी को समपार तक सर्तकता पूर्वक ले जाएगा, और

(iii) यदि फाटक वाला उपलब्ध है और हैंड सिगनल दिखा रहा है तो वह समपार फाटक को सावधानीपूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ेगा, या

(iv) यदि फाटक वाला उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध है, किन्तु हैंड सिगनल नहीं दिखा रहा है तो वह समपार से पहले गाड़ी रोक लेगा और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सड़क यातायात के लिए फाटक बंद है और फाटक वाले से हैंड सिगनल मिलने के बाद, और उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट से हैंड सिगनल मिलने पर लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और यथा-स्थिति नियम 9.02 या 9.07 का पालन करते हुए अगले रोक सिगनल तक सतर्कता से गाड़ी को आगे बढ़ाएगा।"।

[सं. 2004/संरक्षा (ए एंड आर)/19/25]

एस.बी. घोष दस्तीदार, सदस्य (यातायात) तथा पदेन सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधन किए गए :–

1. सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
2. सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983
3. सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983
4. सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984
5. सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992
6. सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996
7. सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998
8. सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999
9. सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999
10. सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999
11. सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000
12. सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000
13. सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000
14. सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000
15. सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000
16. सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002
17. सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002 और
18. सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2006

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2006.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(i) In Chapter III, in rule 3.73, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"2 (a) if the gate Stop signal is provided with a 'G' marker, the Loco Pilot shall wait at the signal for one minute by day and two minutes by night, and if the signal is not taken 'off' within this period, he may draw his train ahead cautiously up to the level crossing, and

(b) if the Gateman is available and exhibiting hand signals, proceed further past the gate cautiously, or

(c) if the Gateman is not available, or, is available but not exhibiting hand signals, he shall stop short of the level crossing, where he shall then be hand-signalled past the gate by the Gateman, if there is one or in the absence of a Gateman, by one of the members of the engine crew of the train after ascertaining that gates are closed against road traffic.";

(ii) in Chapter IX, in rule 9.15, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

"(b) (i) if the 'A' marker light is extinguished, he shall sound the prescribed code of whistle to warn the Gateman and bring his train to a stop in rear of the signal, and

(ii) if after waiting for one minute by day and two minutes by night, the signal is not taken 'off', he shall draw his train ahead cautiously up to the level crossing, and

(iii) if the Gateman is available and exhibiting hand signals, proceed further past the level crossing gate cautiously, or

(iv) if the Gateman is not available, or, is available but not exhibiting hand signals, stop in rear of the level crossing and after ascertaining that the gates are closed against road traffic and on getting hand signals from the Gateman, and in his absence from Assistant Loco Pilot, the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle and cautiously proceed up to the next stop signal complying with the rule 9.02 or 9.07 as the case may be.".

[No. 2004/Safety (A & R)/19/25]

S. B. GHOSH DASTIDAR, Member (Traffic) & Ex-Officio Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* notifications number :—

1. G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
2. G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
3. G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
4. G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
5. G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
6. G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
7. G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
8. G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
9. G.S.R. 213 (E), dated the 18th March, 1999,
10. G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
11. G.S.R. 581 (E), dated the 3rd July, 2000,
12. G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
13. G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000
14. G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
15. G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
16. G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002
17. G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002 and
18. G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.